न्यायालय सत्र न्यायाधीश, अयोध्या।

पीठासीनः रणंजय कुमार वर्मा (UP01908)... एच०जे०एस०

दाण्डिक प्रकीर्ण वाद (टी०ए०) सं०–67/2026

दल सिंगार तिवारी पुत्र राम नरेश तिवारी निवासी मोहल्ला कृष्णानगर कालोनी, जनौरा, थाना कोतवाली नगर, जिला अयोध्या।

..... आवेदक।

बनाम

1. उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अयोध्या।
2. शत्रुहन मिश्रा पुत्र स्व० कैलाश मिश्रा निवासी मकान नं०–962 अवधपुरी कालोनी, अमानीगंज फेज–1, थाना कोतवाली नगर, जिला अयोध्या।

..... विपक्षीगण।

08.06.2026

1. पत्रावली प्रस्तुत हुयी। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं। विपक्षी सं०–1 उ०प्र० राज्य की ओर से विद्वान शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी भी उपस्थित हैं।

2. विपक्षी सं०–2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं है, न ही कोई आपत्ति प्रस्तुत की गयी है।

3. प्रस्तुत स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र 3 क आवेदक की ओर से न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अयोध्या में विचाराधीन दाण्डिक वाद सं०–6339/2021 सरकार बनाम शत्रुहन मिश्रा, अपराध सं०–289/2021, अंतर्गत धारा 419, 420, 467, 468, 471 भा०द०सं०, थाना कोतवाली अयोध्या, जिला अयोध्या की पत्रावली को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किए जाने के आशय से प्रस्तुत किया गया है। आवेदक का कथन है कि वह प्रश्नगत वाद का पीड़ित पक्षकार है। प्रश्नगत उपरोक्त वाद में गवाहों के बयान आदि होने के उपरान्त वाद में अंतिम रूप से दिनाँक 04.09.2025 को बहस सुना गया और पत्रावली निर्णय हेतु दिनाँक 16.09.2025 को नियत की दी गयी, किन्तु पत्रावली में निर्णय पारित नहीं हुआ और जानकारी करने पर पता चला कि कार्य की व्यवस्तता के कारण पीठासीन अधिकारी द्वारा आदेश पारित नहीं किया जा रहा है। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा जब निर्णय के बावत स्वयं पीठासीन अधिकारी से जानकारी किया गया, तो उनके द्वारा बताया गया कि कतिपय कारणों एवं व्यस्तता के कारण उनके द्वारा पत्रावली में निर्णय नहीं किया जा रहा है। पत्रावली के शीघ्र निस्तारण हेतु माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश है, इसके बावजूद पत्रावली में अब तक निर्णय पारित नहीं किया गया है। आवेदक द्वारा यह भी कथन किया गया है कि प्रश्नगत वाद के अभियुक्त द्वारा बार बार यह कहा जा रहा है कि मुकदमे में फैसला उसके पक्ष में होगा, साहब से उसकी बात हो गयी है। उपरोक्त कथनों के आधार पर आवेदक द्वारा प्रश्नगत न्यायालय से न्याय की आशा न होने का आरोप अभिकथित करते हुए वाद के निष्पक्ष निर्णय हेतु किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण की याचना की गयी है।

4. विपक्षी सं०–1 उ०प्र० राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र का विरोध किया गया तथा यह तर्क किया गया कि प्रार्थनापत्र बिना किसी ठोस तथ्यों एवं आधार के प्रस्तुत किया गया है, तदनुसार प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

5. विद्वान अधिवक्तागण को सुना एवं पीठासीन अधिकारी की आख्या का परिशीलन किया।

6. न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अयोध्या के पीठासीन अधिकारी ने अपनी आख्या दिनाँक 11.05.2026 में प्रश्नगत दाण्डिक वाद को उनके न्यायालय में लम्बित होने का तथ्य उल्लिखित करते

Digitally signed by RANANJAY KUMAR VERMA
Date: 2026.06.08 15:51:36 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

हुए प्रार्थनापत्र में न्यायालय के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को असत्य एवं अनर्गल होना कहा है। पीठासीन अधिकारी ने आख्या में यह भी कथन किया है कि यदि प्रश्नगत दाण्डिक वाद को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

7. प्रस्तुत मामले में आवेदक/पीड़ित पक्ष के द्वारा प्रश्नगत न्यायालय के प्रति अविश्वास व्यक्त करते हुए दाण्डिक वाद की पत्रावली के स्थानान्तरण की याचना की गयी है। इस न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र में न्यायालय के विरूद्ध लगाए गए आरोपों के सन्दर्भ में प्रश्नगत दाण्डिक वाद सं०–6339/2021 सरकार बनाम शत्रुघन मिश्रा की पत्रावली आहूत कर उसका परिशीलन किया गया। पत्रावली के परिशीलन से यह तथ्य दर्शित होता है कि प्रश्नगत वाद में अभियोजन पक्ष एवं बचाव पक्ष का साक्ष्य पूर्ण होने के उपरान्त पत्रावली दिनाँक 06.12.2024 को बहस हेतु नियत हुयी और उसके उपरान्त से लगभग 55 तिथियाँ बहस हेतु पत्रावली में नियत हो चुकी हैं, जिनमें से लगभग 08 विभिन्न नियत तिथियों पर न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा पक्षों की बहस भी सुनी गयी है, इसके बावजूद भी पत्रावली बहस हेतु ही नियत होती चली आ रही है और पत्रावली में अद्यतन निर्णय पारित नहीं हो सका है, जबकि उक्त वाद के शीघ्र निस्तारण हेतु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिशानिर्देश भी सम्बन्धित न्यायालय को निर्गत किए गए हैं और यह स्पष्ट किया गया है कि अनावश्यक रूप से किसी भी पक्ष को मौका/स्थगन प्रदान नहीं किया जाएगा। पत्रावली पर उपलब्ध आदेशपत्र के परिशीलन से ऐसा कहीं भी परिलक्षित नहीं हो रहा है कि न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रश्नगत वाद के त्वरित निस्तारण हेतु कार्यवाही की जा रही हो, किन्तु पक्षकारों के आचरणवश वाद का निस्तारण सम्भव नहीं हो पा रहा हो। उक्त तथ्य व परिस्थितियों में वाद के किसी पक्षकार को न्यायालय के प्रति आशंका उत्पन्न होना स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा विधि निर्णय **"Ram Narayan Vs. Rakesh Tandon, 2006 All.C.J. 508"** में यह अवधारित किया गया है कि यदि किसी पक्ष के मन में आशंका हो कि उसे न्यायालय से न्याय नहीं प्राप्त होगा और यह तथ्य सम्बन्धित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के संज्ञान में हो, तो वहाँ ऐसे मामले को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित करना न्याय के हित में होगा। इसप्रकार उपरोक्त अवधारणा एवं विवेचन के दृष्टिगत प्रस्तुत मामले में आवेदक की ओर से प्रस्तुत स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने का पर्याप्त आधार है।

<u>आदेश</u>

स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र 3 क स्वीकृत किया जाता है।

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अयोध्या में विचाराधीन दाण्डिक वाद सं० 6339/2021 सरकार बनाम शत्रुहन मिश्रा, अपराध सं० 289/2021, अंतर्गत धारा 419, 420, 467, 468, 471 भा०द०सं०, थाना कोतवाली अयोध्या, जिला अयोध्या को विधि अनुसार विचारण एवं निस्तारण हेतु न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट–तृतीय, अयोध्या में स्थानान्तरित किया जाता है।

सम्बन्धित हस्तान्तरिति/विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त दाण्डिक वाद का विचारण एवं निस्तारण विधि अनुसार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण के सन्दर्भ में पारित दिशा–निर्देशों के आलोक में शीघ्रताशीघ्र करना सुनिश्चित करें।

दिनाँक: 08.06.2026

(रणंजय कुमार वर्मा)
सत्र न्यायाधीश
अयोध्या।